न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:–67/2020

रोहिताश कुमार पुत्र जसवन्तसिह जाति जाट निवासी 12 डीवीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाम्

1. जसवन्तसिह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 12 डीवीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मंजू पुत्री जसवन्तसिह पत्नी राकेश } जाति जाट निवासी नगराना तहसील
3. संजू पुत्री जसवन्तसिह पत्नी घनश्याम } संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रुपराम कासनियां अधिवक्ता वादी
श्री बनवारीलाल गौड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 22.01.2024

वादी रोहिताश कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा वावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं0 1 जसवन्तसिह के नाम से चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 42/159 मे प0न0 174/366 मु0 1 किलानं0 6/1/.240 है0, प0न0 175/366 मु0 2 किलान0 6 ता 9, 10/2/.102 है0, प0न0 178/368 मु0 21 किलानं0 17/1/.139, 18/1/.240, 19/1/.240, 20/3/.051 है0 कुल 2.024 है0 कमाण्ड, अनकमाण्ड कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो पीढी दर पीढी विरास्तन चली आ रही है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है।वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारां अर्सा कदीम पूर्व हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 जो वादी की सगी वहिने है उन्होने अपने अपने हक व हिस्सां की भूमि का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था। वाद पत्र कीं दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी को घरू बटवारां में प्राप्त हुई थी जिस पर वादी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।चक 14 डीवीएल की कृर्षि भूमि प्रतिवादी ने अपने पास रखी है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी को घरू बटवारां में प्राप्त हुई है जिस पर वादी बटवारां के रोज से काविज रहकर कांश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादीसं0 1 के नाम की आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 42/159 मे से प्रतिवादीसं0 1 जसवन्तसिह का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व प्रतिवादीसं0 1 का नाम खाता हाजा मे से कलमजन करवाने का निवेदन किया कि तो प्रतिवादीगणं कतई इन्कार हो गये।बस यही विनाय दावा है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के वाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का हम पक्षकारान के मध्य आपस में घरू बटवारां अर्सा कदीम पूर्व हो गया था व घरू बटवारां में हम प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी को घरू बटवारां में प्राप्त हुई थी जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने बटवारां में अन्य चक 14 डीबीएल की कृर्षि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से ही है अपने पास रख ली है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है व वादी ही उक्त आराजी की रकम राज़ जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित्त किया जाकर चकनं0 8 एम. जैड डबल्यू के खाता सं0 42/159 मे से प्रतिवादीसं0 1 जसवन्तसिह का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किये गये।वादी द्वारा वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी संवत 2068 ता 71 सोहनलाल के नाम की जमाबन्दी की प्रति व वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र, माता का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है, पैतृक सम्पति बाबत वादी के दादा के नाम की जमाबन्दी पेश की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, राजीनामा, शपथ पत्र, पैतृक सम्पति बावत प्रस्तुत जमाबन्दी, वारिसनामा, वारिसनामा स्टाम्प, सहमति पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयॉ प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर पैतृक सम्पति होना सावित है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताविक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताविक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी सावित करने में सफल रहा है।वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 जसवन्तसिह के नाम से चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 42/159 मे प0न0 174/366 मु0 1 किलानं0 6/1/.240 है0, प0न0 175/366 मु0 2 किलान0 6 ता 9, 10/2/.102 है0, प0न0 178/368 मु0 21 किलानं0 17/1/.139, 18/1/.240, 19/1/.240, 20/3/.051 है0 कुल 2.024 है0 कमाण्ड, अनकमाण्ड कृर्षि भूमि का वादी रोहिताश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 42/159 मे

से प्रतिवादीसं0 1 जसवन्तसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अं. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 67 /2020

रोहिताश कुमार पुत्र जसवन्तसिह जाति जाट निवासी 12 डीवीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. जसवन्तसिह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 12 डीवीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मंजू पुत्री जसवन्तसिह पत्नी राकेश } जाति जाट निवासी नगराना तहसील
3. संजू पुत्री जसवन्तसिह पत्नी घनश्याम } संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रुपराम कासनियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री बनवारीलाल गौड़ प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 जसवन्तसिह के नाम से चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 42/159 मे प0न0 174/366 मु0 1 किलानं0 6/1/.240 है0, प0न0 175/366 मु0 2 किलान0 6 ता 9, 10/2/.102 है0, प0न0 178/368 मु0 21 किलानं0 17/1/.139, 18/1/.240, 19/1/.240, 20/3/.051 है0 कुल 2.024 है0 कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि का वादी रोहिताश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 42/159 मे से प्रतिवादीसं0 1 जसवन्तसिह का नाम कलमजंन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अमुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आंराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X.....निल...X.....मुव्लिक..X...निल,.....X....बाबत्....x..........निल.......X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X....अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी